

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1-निदेशक,
पंचायतीराज,
उ०प्र०।

2- समस्त जिलाधिकारी
उ०प्र०।

पंचायतीराज अनुभाग - 3

लखनऊ दिनांक- 15 जनवरी, 2019

विषय:- 14वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के मार्ग-निर्देशों के क्रम में संशोधित मानक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2017-18 के 14वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान हेतु पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एन०-11013/22/2015-एफ०डी० दिनांक-17.07.2018, के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-68/2018/2640/33-3-2018-02/2016, दिनांक-08.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश में परफार्मेंस ग्राण्ट के वितरण हेतु पुनः पात्र ग्राम पंचायतों से निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आवेदन प्राप्त कर धनराशि वितरण हेतु मार्ग-निर्देश जारी किया गया था। परफार्मेंस ग्राण्ट हेतु निर्धारित मानकों पर मूल्यांकन के उपरान्त पाया गया कि वर्ष 17-18 में अधिकांश ग्राम पंचायतों के खुले में शौचमुक्त न होने के कारण निष्पादन अनुदान हेतु मात्राकृत धनराशि की अत्यन्त कम धनराशि वितरित हो पा रही थी। उक्त परिस्थिति में भारत सरकार पंचायतीराज मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2017-18 के निष्पादन अनुदान वितरण हेतु अंक प्रणाली के मानकों को शिथिल करने हेतु अनुरोध किया गया।

डा० संजीव पटजोशी, संयुक्त सचिव, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-एन०-11011/4/2017-एफ०डी०, दिनांक-02.01.2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण पर सहमति देते हुए निर्णय लिया गया है कि निष्पादन अनुदान वर्ष 17-18 का वितरण केवल 2 मानक यथा ग्राम पंचायत के लेखों का संप्रेक्षण एवं स्वयं के स्रोतों से आय में वृद्धि के आधार पर किया जायेगा। चयनित ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित बेसिक ग्राण्ट की अधिकतम 5 गुना की सीमा तक धनराशि आवंटित की जायेगी।

2. संयुक्त सचिव पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक-02.01.2019 के क्रम में 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निष्पादन अनुदान वर्ष 2017-18 के चयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-68/2018/2640/33-3-2018-02/2016, दिनांक-08.08.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायतों के अर्हता हेतु निम्नवत् मानदण्ड निर्धारित किया जाता है:-

- I. ग्राम पंचायतों को उस वर्ष के संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने होंगे जो कि उस वर्ष, जिसमें ग्राम पंचायतों ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से पिछले दो वर्षों (वर्ष 2014-15 व 2015-16) से अधिक पुराने न हो।
- II. ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने स्वयं के संसाधनों से राजस्व आय में बढ़ोत्तरी दर्शानी होगी जैसा संपरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया है (वर्ष 2014-15 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 की स्थिति)

शासनादेश संख्या 2760/33-3-2017-02/2016 दिनांक 12 फरवरी 2016 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में वित्त एवं लेखा सेवा के एक अधिकारी तथा जनपद के एक उप-जिलाधिकारी को जिलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।

जनपद स्तरीय समिति द्वारा पूर्व में प्राप्त आवेदनों से सम्बन्धित अभिलेखों का उपरोक्त मानकों के अनुसार परीक्षण किया जायेगा। उपरोक्त निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों की सूचना पंचायतीराज विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में अंकित किया जायेगा। सूचना अंकित करने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर पात्र ग्राम पंचायतों की सूची समिति के हस्ताक्षरोपरान्त जिलाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराकर हार्डकॉपी एवं उसकी सॉफ्टकॉपी निदेशक पंचायतीराज को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा जनपदों से प्राप्त कराये गये ग्राम पंचायतों की सूची को संकलित कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार धनराशि वितरित कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाये।

3. जनपद व राज्य स्तर पर निष्पादन अनुदान वर्ष 2017-18 की उपर्युक्त कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समय-सारणी निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	विवरण	समय अवधि
1	जनपद समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों के अभिलेखों का परीक्षण कर निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों की सूचना पोर्टल पर अपलोड किया जाना	दिनांक-16.01.2019 से 24.01.2019 तक
2	निदेशालय द्वारा जनपद से प्राप्त ग्राम पंचायतों की सूची संकलित कर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना।	दिनांक-25.01.2019 से 29.01.2019 तक

अतः उपरोक्तानुसार निष्पादन अनुदान वर्ष 2017-18 हेतु संशोधित मानकों को पूर्ण करने वाली पात्र ग्राम पंचायतों की सूचना निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध कराने हेतु समस्त कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,


(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, पंचायतीराज, मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (प०), उ०प्र०।
7. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उ०प्र०।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से


(महेन्द्र कुमार)
सचिव।

प्रपत्र
14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निष्पादन अनुदान वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु
पात्र ग्राम पंचायतों की सूची-

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

प्रमाणित किया जाता है कि 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निष्पादन अनुदान वर्ष 2017-18 हेतु जनपद: के उपर्युक्त ग्राम पंचायतों के आवेदन के क्रम में अभिलेखों का परीक्षण निर्गत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार के अनुसार पात्र है।

(हस्ताक्षर)
नाम:.....
जिला पंचायत राज अधिकारी

(हस्ताक्षर)
नाम:.....
अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत

(हस्ताक्षर)
नाम:.....
जिलाधिकारी द्वारा नामित वित्त एवं लेखा विभाग के अधिकारी

(हस्ताक्षर)
नाम:.....
जिलाधिकारी द्वारा नामित
उप जिलाधिकारी

(हस्ताक्षर)
नाम:.....
मुख्य विकास अधिकारी

(प्रतिहस्ताक्षर)
जिलाधिकारी